अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0सं0–निग / सारा–9 (आरोप) झारखंड–22 / 09

पटना, दिनांक :– 17/1/19

कार्यालय आदेश - 20

प्रखंड कार्यालय, बेरमो, झारखंड (राँची) के पदस्थापन काल में पदीय कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में दिनांक–27.02.02 को श्री राम बसन्त कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध ₹2300.00 (दो हजार, तीन सौ रूपये) रिश्वत लिये जाने के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–49 / 2002 दिनांक–26.08.02 द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने तथा दिनांक–27.08.2002 से न्यायिक हिरासत में रखे जाने के लिए झारखंड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–289 दिनांक–21.09.2002 द्वारा अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. श्री सिंह के न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने तथायोगदान समर्पित करने के उपरांत झारखंड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–55 दिनांक–10.03.2003 द्वारा रिहा होने की तिथि–29.10.2002 से निलंबन मुक्त किया गया तथा झारखंड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–76–सहपठित ज्ञापांक–1509 दिनांक–27.05.2005 द्वारा प्रपत्र–'क' के तहत आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. बिहार राज्य के बँटवारे के पश्चात् श्री सिंह की सेवा अंतिम रूप से बिहार राज्य को आवंटित होने के आलोक में झारखंड सरकार के पत्रांक–7654 दिनांक–03.12.2008 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप से निष्पादित करने हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–117 दिनांक–20.04.09 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. इसी बीच श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–49 / 2002 (विशेष वाद संख्या–57 / 2002) में सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, ए0सी0बी0, धनबाद द्वारा दिनांक–28.08.18 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा "miserably failed to prove" के आधार पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

5. श्री सिंह के विरूद्ध उक्त आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–49 / 2002 में दिनांक–28.08.18 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में श्री सिंह को दोषमुक्त किये जाने के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–265–सहपठित ज्ञापांक–7662 (ई) दिनांक–06.11.18 द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने की स्थिति में आरोप मुक्त किया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–2959 दिनांक–31.08.2007 की प्रावधानगत व्यवस्था के आलोक में समरूप मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत श्री सिंह के निलंबन अवधि दिनांक–27.08.2002

से दिनांक–29.10.2002 (हिरासत अवधि) को आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने की स्थिति में पूर्ण वेतन–भत्तों के साथ प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग,, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची/उप सचिव, (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राम बसन्त कुमार सिंह, कनीय अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 427(E)

पटना, दिनांक :– 17/1/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16/1/19